सं.ई-13011/10/2020-ति.प्र.रि./हिंदी / 189 (क)

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

कमरा संख्या - 906 (दक्षिण),
सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली -110066

दिनांक 30 जून, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर समय पर भिजवाने के संबंध में।

कृपया 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट **निर्धारित प्रपत्र में भाग-I** सही-सही भरकर यथाशीघ्र हिंदी अनुभाग को भिजवा दी जाए ताकि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. आपसे अनुरोध है कि उक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को **11 जुलाई, 2022** तक **hindisec-cwc@gov.in** पर अवश्य भिजवा दी जाए।

3. रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

क्र.सं.	मद	टिप्पणी
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात	ध्यान रहे कि धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। इसके अलावा अन्य पत्राचार इसमें शामिल न किया जाए।
2.	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)	ध्यान रहे कि राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाता है।

3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति	केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए।
4.	भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा	'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है।
		'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है ।
		'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को लक्ष्य 65% है ।
5.	तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।	'क' क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणियां लिखने का निर्धारित लक्ष्य 75% है।
6.	आंकड़ों का जोड़	यह सुनिश्चित करें कि आंकड़ों का जोड़ सही है।

भवदीया,

30/6/2022

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-29583720,
ई मेल: hindisec-cwc@gov.in

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सभी अवर सचिव/ अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. सदस्य, जल आयोजन एवं परियोजना के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. सदस्य, नदी प्रबंध स्कंध के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।